

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या
दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

व उक्त वाद राजस्व वाद के रूप में
नाद गति हुई एक ही होने से तथा
उक्त वाद गति हुई के सम्बन्ध में
के निर्णय होने के कारण उक्त पत्रों
के पुनः निर्णय पारित किए जाने से
वही सम्बन्ध है। उक्त वादी वर
नाद गति हुई के सम्बन्ध में के निर्णय
की मन्शा के अनुसार नहीं होने से
किया जाता है। निर्णय जारी है।
परावर्ती सम्बन्ध से वक्त है।

आज्ञा दिनांक 14.5.18 को पर
निर्णय व्यापक रूप से जारी देना के
जखवाड़ा में मजिस्ट्रेट से सुनाया

14/5/18
14.5.18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|---|------|---|
| 1. रामेश्वर पुत्र गोरधन
जाति माली निवासी नया
मालियान की ढाणी ग्राम
जटवाडा तह. बस्सी। | बनाम | 1. कालू
2. हरसहाय
3. गंगाराम
4. रामकरण पुत्रान रामनारायण
5. प्रभुदयाल
6. बसंतीलाल
7. सुवालाल
8. सीताराम पुत्रान रामसुख
9. मूली बेवा रामसुख
10. बाबूलाल
11. मोहन
12. पप्पू पुत्रान कल्याण
13. भौमाराम पुत्र गोरधन
14. तिलकराज
15. रामराज
16. चैनराज
17. शिवराज पुत्रान भौमाराम
18. गुल्ली पत्नि भौमराज
19. गुलाब पत्नि तिलकराज
20. तुलसी पत्नि रामराज
21. उर्मिला पत्नि चैनराज
22. कंचन पत्नि शिवराज
समस्त जाति माली निवासी
ग्राम जटवाडा तह. बस्सी।
23. तहसीलदार बस्सी।
24. उपपंजीयक बस्सी। |
|---|------|---|

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 64/12

दिनांक 14.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 259/2 व 259/3 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा स्थित ग्राम
जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में पूर्व में राजस्व वाद भगवान सहाय बनाम कालू
विचाराधीन था जिसका निर्णय हो चुका है उक्त पत्रावली भगवान सहाय बनाम कालू की वादग्रस्त
भूमि व उक्त वाद रामेश्वर बनाम कालू की वादग्रस्त भूमि एक ही होने से तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के
संबंध में पूर्व में निर्णय होने के कारण उक्त पत्रावली में पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं
समझते हैं। अतः वादी का वाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से
खारिज किया जाता है।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....

....खर्चा इस मुकदमों का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....
.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 को जारी किया गया।
मोहर

दस्तख्त.....
ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी